

देखें,

की अग्रीक सविनी,
संयुक्त शिक्षण
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
विद्या भवन 2 तमलाख रोड,
प्राथमिक विभाग नई दिल्ली ।

तथ्या 171 अनुभाग

संख्या: दिनांक: 17 जुलाई 1998

विषय:- इकरा प्राथमिक स्कूल न्यू तर तैयत नगर इन्फोर्मेसन अग्रीक की तांकीकरण की नई दिल्ली में सम्भलता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

संदर्भ,

उपरोक्त विषय पर मेरे पत्र नई की दिनांक 17 जुलाई 1998 के इकरा प्राथमिक स्कूल न्यू तरतैयत नगर इन्फोर्मेसन अग्रीक की तांकीकरण की नई दिल्ली में सम्भलता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में आ राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पर्यवेक्षण सेवाओं का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्गों के लिये सुरक्षित और उभरे उच्चतर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयारित विद्युत नवी में विभिन्न स्थानों के लिये तैयारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 सेवा द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से केवल शिक्षा परिषद से सम्भलता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्भलता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कीसिल फार दि 05/10/98 स्कूल तैयारित इन्फोर्मेसन नई दिल्ली में प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्भलता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से सम्भलता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः सम्भल हो जायेगी ।
- 151 सेवा केवल नई शिक्षा परिषदों की राज्यीय स्तरिता प्राप्त शिक्षण सेवाओं के अधीन ही अनुसूचित क्षेत्रों तथा अन्य भागों में कम वेतनमान तथा अन्य नवी दिये जायेगी ।
- 161 अधीनस्थों की सेवा नई बनायी जायेगी और उन्हें स्थायता प्राप्त आवासीय उपकरण माध्यमिक विद्युत नवी के अधीन ही अनुसूचित सेवा तैयारित का नाम उपलब्ध कराये जायेगी ।

- 17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, तैरबा उनका पालन करेगा ।
- 18। विद्यालय का रिजार्ड निर्धारित प्रमाण/परिचयार्थ में रखा जायेगा ।
- 19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वनिर्भोजन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन वा परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना तैरबा के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि तैरबा द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की धूर्क वा शिथिलता शरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पर वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

।आोक मीनी।
संयुक्त तयिब ।

पुनः 111/15-7-1998 तदुदिनांक

प्रतिनिधि वि.न.नि.वि.त को तृपनार्थ रथ आवायक शर्यावा का हेतु प्रेरित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मन्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा ।
- 3- जिना विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़ ।
- 4- निरीक्षक, अंगिक भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, अकरा पब्लिक स्कूल मीठानी-95 अकराकालीनी न्यू तरेतैवट नगर अजमेरसन अलीगढ़ ।

आगत है,

।आोक मीनी।
संयुक्त तयिब ।